तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
19.10.2023	पत्रावली एकपक्षीय स्थगन आदेश हेतु पेश हुई। वकील अपीलाण्ट उपस्थित। वकील अपीलाण्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 5 सपठित धारा 151 सीपीसी पेश करते हुए कथन किया कि तहत अदालत के समक्ष अपीलाण्ट को पक्षकार नही बनाया गया अपीलाण्ट को अपीलाधीन आदेश की कोई जानकारी नही थी तहत अदालत द्वारा असल रेस्पो0 1 लगायत 4 के प्रार्थना पत्र पर एकपक्षीय रूप से अपीलाण्ट के कब्जे काश्त की आराजी पर मौके की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारित किया गया जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा उक्त विवादित आराजी गत खसरा संख्या 2919 रक्बा 12 विस्वा वाके ग्राम नोह तहसील व जिला भरतपुर जिसके हाल खसरा नम्बर 2581 रक्बा 0.09 हैक्टेयर बने है का बेचान दिनांक 01.12.1987 को अपीलाण्ट की माता सीतादेवी को कर दिया था। सीतादेवी के पति का नाम रामबाबू शर्मा न होकर रामबल्लभ शर्मा था। पति के गलत नाम के आधार पर रेस्पो0 सं0 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय में विवादित आराजी पर स्थगन प्राप्त कर लिया। अतः अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2023 कि पालना व प्रभाव ताफैसला अपील स्थगित रखा जावे तथा मौके व रिकार्ड की यथास्थिति कायम रखी जावे। अपीलाण्ट के तर्को पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है रेस्पोडेन्ट संख्या 1 बाबू पुत्र मुन्शी द्वारा विवादित आराजी खसरा संख्या 2919 रक्बा 12 विस्वा जिसका हाल खसरा नम्बर 2581रक्बा 0.09 हैक्टेयर बने है का बेचान दिनांक 01.12.1987 को सीतादेवी पत्नी श्री रामबाबू शर्मा साकिन मण्डी अटलबंद भरतपुर को कर दिया था। विवादित आराजी वर्तमान सीतादेवी पत्नी रामबाबू की खातेदारी काश्तकारी में है। मुताबिक मृत्यु प्रमाण पत्र सीतादेवी के पति का नाम रामबल्लभ शर्मा उल्लेखित है मृतक सीतादेवी के पति का नाम रामबाबू शर्मा है अथवा रामबल्लभ शर्मा है उक्त तथ्य पृथक से विचारणीय हो सकते है किन्तु पत्रावली से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी का बेचान रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा किया जा चुका है। अधीनस्थ न्यायालय में मुताबिक दावा एवं प्रार्थना पत्र 212 असल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 4 द्वारा उक्त पंजीकृत वयनामा के बारे में कोई उल्लेख नही किया केवल विवादित आराजी के सीतादेवी के नाम का इन्द्राज बिना किसी आधार के होने का उल्लेख किया है। जबकि सीतादेवी जरिये पंजीकृत वयनामा विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार बनी। अतः उक्त तथ्यो के आलोक में प्रथम दृष्टया मामला व सुविधा का संतुलन अपीलाण्ट के हक में बनना प्रतीत होता है। अपीलाधीन आदेश की पालना व प्रभाव स्थगित नही किया जाता है तो अपीलाण्ट को अपूर्णनीय क्षति होने की संम्भावना है। अपील एक पक्षीय अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा के विरूद्व पेश कि गई है। न्यायालय के मत में इसी स्तर पर अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.07.2023 की पालना व प्रभाव स्थगित किया जाता है तथा पत्रावली इस निर्देश के साथ अधीनस्थ न्यायालय को प्रति प्रेषित कि जाती है कि वह अपीलाण्ट को आवश्यक पक्षकार बनाया जाकर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पर विधि सम्मत निर्णय अन्दर एक माह पारित करे तब तक उभयपक्ष विवादित आराजी पर मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।पक्षकारान नियत तिथि को अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जावे एवं वाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। 19/10/2023 (अखिलेश कुमार पिपल) राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर (राज.)